रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 929] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2005/भाद्र 11, 1927
No. 929] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2005/BHADRA 11, 1927

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2005

का.आ. 1231(अ).—भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2005 के का.आ. 909 (अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 सितम्बर, 2008 तक पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

"(1)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार	अध्यक्ष
(2)	प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
(3)	प्रधान सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
(4)	प्रधान सचिव (मत्स्य) कृषि, दुग्धशाला विकास, एवं मत्स्य विभाग	सदस्य
(5)	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
(6)	नगर आयुक्त, बृहत मुम्बई नगर निगम	सदस्य
(7)	अध्यक्ष, वामराई प्रतिष्ठान, पुणे	सदस्य
(8)	डॉ. एस. बी. चापेकर, पूर्व डीन, सलीम अली स्कूल ऑफ इकोलॉजी पाण्डिचेरी (अब मुम्बई में रह रहे हैं।)	सदस्य
(9)	डॉ. एस.के. गुप्ता, अध्यक्ष सी ई एस सी विभाग, इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुम्बई	सदस्य
(10)	डॉ. श्रीमती लीला भोसले, वनस्पति विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	सदस्य
(11)	निदेशक, सैन्ट्रल इन्स्टीटयूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, मुम्बई	सदस्य
(12)	उप सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य-सचिव"

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण

के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में अनावश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों :

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परंतु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा के (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे महाराष्ट्र राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो आपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसे परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो महाराष्ट्र के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं.-12-2/2005-आई ए-III]

एस. के. जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : महाराष्ट्र राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पूर्व में गठन दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश संख्या का.आ. 153 (अ) के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और तदुपरांत दिनांक 31 मार्च, 2005 की संख्या का.आ. 466 (अ) और दिनांक 30 जून, 2005 की का.आ. 909 के तहत् संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 2nd September, 2005

S.O. 1231 (E).—Whereas, by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 909 (E) dated the 30th June, 2005, the Central Government constituted the Maharashtra State Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And, whereas, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the Maharashtra State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette, for a period upto 30th September, 2008 consisting of the following persons, namely :—

1.	Principal Secretary/Secretary, Environment Department, Government of Maharashtra.	Chairman
2.	Principal Secretary/Secretary, Revenue Department, Government of Maharashtra.	Member
3.	Principal Secretary/Secretary, Urban Development Department, Government of Maharashtra.	Member
4.	Principal Secretary (Fisheries), Agriculture, Dairy Development and Fisheries Department.	Member
5.	Principal Secretary/Secretary, Industries Department, Government of Maharashtra.	Member
6.	Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai.	Member
7.	President, Vamrai Pratishthan, Pune	Member
8.	Dr. S.B. Chaphekar, Former Dean, Salim Ali School of Ecology, Pondicherry (now residing in Mumbai).	Member
9.	Dr. S.K. Gupta, Head of Department of CESE, Indian Institute of Technology, Mumbai.	Member
10.	Dr. (Mrs.) Leela Bhosale, Department of Botany, Shivaji University, Kolhapur	Member
11.	Director, Central Institute of Fishery Education, Mumbai.	Member
12.	Deputy Secretary, Environment Department, Government of Maharashtra.	Member-Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Maharashtra namely :—

(i) Examination of proposals for changes for modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Maharashtra State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up *suomotu* or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

(iii) Filing complaints under Section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.

(iv) To take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the Mahrashtra State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal area high vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone area and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 144(E) dated 19th February, 1991.

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Maharashtra.

X. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XIII. The Authority shall have its headquarters at Mumbai.

XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.

XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-2/2005-IA-III]

S. K. JOSHI, Jt. Secy.

Note : The Maharashtra State Coastal Zone Management Authority earlier was constituted *vide* Order number S.O. 153(E), dated 3rd February, 2005 published in the Gazette of India Extraordinary and subsequently amended *vide* numbers S.O. 466 (E), dated 31st March, 2005 and S.O. 909 (E) dated the 30th June, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.